पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी ने नामान्तकरण दिनांक 20.12.2019 की सत्यापित/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रकरण के सन्दर्भ में अंतिम अनुतोष के क्रम में आदेश की पालनार्थ नामान्तकरण दर्ज किया जा चुका है, जिससे अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रकरण/प्रार्थनापत्र को निस्तारित फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी को सुना व प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। नामान्तकरण दिनांक 20.12.2019 की पंजिका के ईन्द्राज से स्पष्ट है कि प्रकरण के सन्दर्भ में पारित निर्णय की पालनार्थ ईन्द्राज किया जा चुका है, जिससे अब अन्य कोई कार्यवाही शेष/अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र/ईजराय अब सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.02.09 10:53:45 IST
Reason: SelfAttested